बनाम

मुकदमा नम्बर :- /

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	10/7/25	वकिलों द्वारा आज कण्डोलैंस/कार्य स्थिगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 30/7/25 को पेश हो।
	30/7/25	वकिलों द्वारा आज कण्डोलैंस/कार्य स्थिगित रखे जाने से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 21/8/25 को पेश हो।
	21/8/25	व. पार्टी उप तहसीलदार चौमू से रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली वास्ते बहस रिपोर्ट हेतु दिनांक 25/8/25 को पेश हो।
	25/8/25	प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 11/9/25 को पेश हो।
		प्रसाइडिंग ऑफीसर दौरे/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 8/10/25 को पेश हो।
	8/10/25	व. पार्टी उप तहसीलदार चौमू से रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली किया गया। बहस रिपोर्ट प्रस्तुती सुनी बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक), चौमूं (जिला–जयपुर)

हनुमान बनाम राज. सरकार वगै-वगैरा

मुकदमा नम्बर :– 128/2016

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से	विशेष विवरण
		किया गया/ मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चौमू के रकबे में कोई परिवर्तन ना होकर केवल आराजी के परिवर्तन होना बताया गया है जिसमें वादी का वाद मुताबिक रिपोर्ट T.R.O. Chomu के नया डाटा [illegible] की बाबत के [illegible] जाता है के साथ स्वीकार किया जाकर निर्णीत पूर्वक से [illegible] किया गया/ आज्ञा पत्रावली हो पत्रावली [illegible] डिक्री पर्चा जारी हो [illegible] से शुमार होकर उपरान्त दाखिल दफ्तर हो का हो तथा [illegible]	

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0/मुख्यालय), चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी —:श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:—128/2016

उनवान

हनुमान पुत्र सूण्डा, उम्र वर्ष, जाति अहीर, निवासी ईटावा नोपजी, सहील चौगूँ, जिला जयपुर (राज०)—वादीगण—

—वादी—

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसील द्वार. तहसील चौमूं, जिला—जयपुर।
2. ग्राम पंचायत ईटावा भोपजी, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत इंटावा गोपजी, तहसील चौमूँ, जिला—जयपुर (राज०)

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 बी एवं 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
निर्णय

दिनांक :—08.10.2025

वादीगण की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम ईटावा भोपजी, तहशील चौमूँ, जिला—जयपुर मे हाल खसरा नम्बर 12:27/3347 रकबा 0.08 हैक्टेयर हैं, वादी की खातेदारी अधिकारो व कब्जे काश्त की आराजीयात् कषि भूमि है। जिस पर वादी काबिज काश्त होकर निर्बाध व बगैर किसी अवरोध के उपयोग उपभोग कर रहा है। उक्त भूमि का राजस्व नक्शा व उक्त भूमि अग्रिम मदो में नक्शा विवादग्रस्त व भूमि विवादग्रस्त कहा गया है। वादी की उक्त भूमि के गत खसरा नम्बर 272/1, 294/2 मिन थे, जिसमें हाल खसरा नम्बर 1227/3347 है, उक्त खसरा नम्बर का हाल नक्शो बनाते समय सेटलमेन्ट के कर्मचारियों ने काफी कृषि भूमि दक्षिण क तरफ व पश्चिन की तरफ छोड़ते हुए रकबा काफी कम कर दिया गया तथा दक्षिण की तरफ आबादी भूमि खसरा नम्बर 1228, 1229 की भूमि के राजस्व नक्शों में भूमि बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के मिला दी गई। जबकि मौके पर वादी तारबन्दी कर गत राजस्व नक्शे के मुताबिक विवादित खसरा नम्बर 1227/3347 पर काबिज काश्त होकर निरन्तर काश्त करता आ रहा है। भू—प्रबन्ध कर्मचारियों ने वादी की भूमि हाल खसरा नम्बर 1227/3347 के राजस्व नक्शे मे भू—प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान गत अनुसार दर्शाया जाने का अधिकार ही था। राजस्व नक्शे मे वादी की कृषि भूमि के कम करने का कोई हक अधिकार सक्षम अधिकारी न्यायालय के आदेश के बिना नही करने का था लेकिन बदनियति पूर्वक राजस्व कर्मचारियो से वादी को नुकसान कारित करने के आशय से विधि विरूद्ध रूप से वादी के राजस्व नक्शे मे खसरा नम्बर 1227/3347 के गत खसरा नम्बर

Scanned with OKEN Scanner

272 / 1, 294 / 2 मिन के मुताबिक नही बनाया जाकर दक्षिणी पश्चिमी सीमा में दबाते हुए वादी की काफी भूमि राजस्व नक्शे के बाहर कर दी गई तथा आबादी भूमि में मिला दी गई तथा हाल राजस्व नक्शे की दक्षिण से उत्तर दिशा में गलत तरीके से घूमा दिया गया जो दुरुस्त किया जाने योग्य है जिससे पूर्व की आबादी भूमि ईटावाभोपजी की चिमनपुरा अणतपुरा की भूमि में चली गई तथा वादी की भूमि कम कर दी गई जो दुरूस्त किये जाने योग्य है जो अवैध है तथा राजस्व नक्शे मे गत खरा नम्बर के मुताबिक दुरूस्त किया जाना न्यायोचित एवं आवश्कीय है। वादी को प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिनांक 25.07.2016 को वर्तमान राजस्व नक्शे के मुताबिक कब्जा हटाने व वर्तमान तथ्यों की सीमांज्ञान करवाने व कब्जे काश्त, तारणउन्ड्री व पत्थरों को हटाने की धमकी देने से व मना करने पर नक्शा विवाद दुरुस्ती से इन्कार करने से उत्पन्न होकर लगातार जारी है। अतः यह वाद न्यायालय श्रीमान् के समक्ष पेश करना लाजमी हुआ है।

वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निम्न अनुतोष चाहा है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण नक्शा दुरूस्ती का डिक्री फरमाया जाकर वादी के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी भूमि गत खसरा नम्बर 272 / 1, 294 / 2 मिन के राजस्व नक्शे के अनुसार उक्त खसरा नम्बर के बने हाल खसरा नम्बर 1227 / 3347 के राजस्व नक्शे मे दुरूस्ती किया जावें। प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से इस कदर पाबन्द करवाये कि प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 वर्तमान गलत राजस्व नक्शे के आधार पर कोई सीमाज्ञान न करवाये तथा तादी की तारबाउन्ड्री को नहीं उखाड़े व वादी के पत्थरों को खुर्द–बुर्द ना करें तथा कब्जे काश्त मे दखलन्दाजी न करे, उपयोग उपभोग मे मदाहमत मदाहखलत नही करे तथा मौके की यथास्थिति प्रतिवादीगण बनाये रखे।

वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज किया गया तथा प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन के तलब किया गया। प्रकरण में तहसीलदार चौमूं से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार चौमूं ने अपनी रिपोर्ट में कथन किया कि उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में प्रार्थी से सम्पर्क किया गया। बार–बार सम्पर्क करने के बाद भी प्रार्थी द्वारा खसरा नम्बर 1227 / 3347 रकबा 0.08 है0 का पुराना नक्शा उपलब्ध नहीं करवाया गया। खसरा नम्बर 1227 / 3347 के नये खसरा नम्बर 2592 रकबा 0.1606 है0 बने है। जो गत रिकॉर्ड से 0.0806 है0 रकबा अधिक हो गया है। तथा रकबे में परिवर्तन ना होकर केवल आकृति में परिवर्तन किया जा सकता है। उक्त परिवर्तन के सम्बन्ध में गत नक्शे की आवश्यकता है।

हमने प्रकरण में उभयपक्षो की बहस सुनी तथा उपलब्ध दस्तावेजान का अवलोकन किया। वादीगण का वाद नक्शा दुरुस्ती एवं स्थाई निषाधाज्ञा का है। मुताबिक रिपोर्ट

तहसीलदार चोमूं के रकबे में कोई परिवर्तन ना होकर केवल आकृति में परिवर्तन होना बताया गया है जिससे वादी का वाद मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चौमूं के नया दावा लाने की छूट के साथ खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद नया दावा लाने की छूट के साथ खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी है। रिपोर्ट डिक्री का जुज रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(फा0ट्रै0 / मुख्यालय)चौमूँ

Scanned with OKEN Scanner

मु0सं0–128/2016
उनवान– हनुमान बनाम राज0 सरकार वगै0
निर्णय दिनांकः 08.10.2025

डिक्री मुकददमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0/मुख्यालय), चौमूँ, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी –:श्रीमती कनक जैन(R.A.S.)

मुकदमा नं0:–128/2016

उनवान

हनुमान पुत्र सूण्डा, उम्र वर्ष, जाति अहीर, निवासी ईटावा नोपजी, सहील चौमूँ, जिला जयपुर (राज०)–वादीगण–

–वादी–

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसील द्वार. तहसील चौमूं, जिला–जयपुर।
2. ग्राम पंचायत ईटावा भोपजी, जरिये सरपंच ग्राम पंचायत इंटावा गोपजी, तहसील चौमूँ, जिला–जयपुर (राज०)

–प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 बी एवं 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

मुकदमा नं0:–128/2016

ये मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कई रूबरू हाजरी वकील वादीगण व प्रतिवादीगण मिनजामिन मुद्दई रूबरू श्रीमती कनक जैन आरएएस मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि–

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चोमूं के रकबे में कोई परिवर्तन ना होकर केवल आकृति में परिवर्तन होना बताया गया है जिससे वादी का वाद मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार चौमूं के नया दावा लाने की छूट के साथ खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद नया दावा लाने की छूट के साथ खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी है। रिपोर्ट डिक्री का जुज रहेगा।

निजी ....मबलिक .... बाबत ....खर्चा इस मुकदमे का मय सूद वगैरह .... फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलियाय तक .... को अदा करें

बसरत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत के आज तारीख 08.10.2025 को जारी किया गया।

मोहर

पीठासीन अधिकारी
सहायक कलेक्टर (फा0ट्रै0)चौमूँ

Scanned with OKEN Scanner